



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2015/वैशाख 9, 1937

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2015/VAISAKHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

New Delhi, the 29th April, 2015

सा.का.नि. 333(अ).—केन्द्र सरकार, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 के उपबंध [उपधारा (1) के परंतुक को छोड़कर] सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमित देयता भागीदारी के लिए लागू होंगे।

G.S.R. 333(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby directs that the provisions of section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), [except proviso to sub-section (1)] shall apply to a limited liability partnership from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[फा. सं. 1/2/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

[F.No. 1/2/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.